मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 10158/13/2011/ भोपाल, दिनांक 19/10/11

प्रति,

अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर

विषयः—जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में।

संदर्भः— इस विभाग का पत्र क्रमांक 7984/13/2008 दिनांक 29.12.2008

:—:

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कुल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर इन ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता पर बदलने हेतु निर्देशित किया गया था। जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

जले/खराब ट्रांसफार्मर से सम्बद्ध उपभोक्ताओं पर ट्रांसफार्मर फेल होने की दिनांक को बकाया राशि में से निम्नानुसार भुगतान प्राप्त होने पर ट्रांसफार्मर बदला जाए:—

(i) यदि बकाया राशि रू. 25000/— या उससे कम है तो सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।

(ii) यदि बकाया राशि रू. 25000/— से अधिक एवं रू. 1.00 लाख से कम है तो कम से कम रू. 25000/— जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।

(iii) यदि बकाया राशि रू. 1.00 लाख या उससे अधिक है तो कम से कम बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने पर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार राशि जमा होने पर जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने को प्राथमिकता देने हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(एम.के.गुप्ता)
अपर सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग